उस समझौते का अनुमोदन जिसके तहत निर्धारिती-कंपनी भारत में किसी भी प्रतिष्ठान से अधिकार शुल्क आदि प्राप्त करती है जो इस धारा के तहत कटौती के लिए पात्र है - इसके लिए दिशानिर्देश

स्पष्टीकरण 1

बोर्ड के परिपत्र संख्या 140 [एफ. संख्या 167/231/74-आईटी (ए-I)], दिनांक 6-7-1974 *[स्पष्टीकरण 2],* पैरा 1 (*xiii*) की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया था कि एक समग्र समझौते के मामले में, जिसमें धारा 80डड के दायरे से बाहर के मामलों को शामिल करने वाले उद्देश्यों के लिए विचार के रूप में एक समेकित राशि निर्दिष्ट की गई हो, बोर्ड धारा 80डड के प्रयोजनों के लिए ऐसे समझौते को मंज़ूरी नहीं दे सकता है, यदि बोर्ड की राय में, धारा 80डड के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले ऐसे तकनीकी ज्ञान के प्रावधान के संबंध में तकनीकी जानकारी या सेवाओं के प्रावधान से संबंधित विचार की राशि को ठीक से पता लगाना और निर्धारित करना संभव नहीं था। इस प्रकार, ऐसे समझौते के तहत प्राप्त अधिकार शुल्क, आढत, शुल्क आदि की पूरी राशि पर धारा 80डड का लाभ देने से इनकार किया जा सकता है। बोर्ड को इस पर पुनर्विचार करने का अवसर मिला है। यह तय किया गया है कि *ऐसे मामलों में, समझौते की समग्रता पर विचार करने के पश्चात, गैर-योग्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त अस्वीकृति के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा, ताकि धारा 80डड के अंतर्गत आने वाले तकनीकी ज्ञान के प्रावधान के संबंध में तकनीकी ज्ञान या सेवाओं के प्रावधान के लिए शेष राशि, अधिकार शुल्क, आढत, शुल्क आदि से छूट दी जा सके।*

परिपत्र: *सं. 332 [एफ. संख्या 167/231/74-आईटी (ए-I)], दिनांक 25-3-1982।*

स्पष्टीकरण 2

1.बोर्ड के परिपत्र सं. 124 [एफ. संख्या 167/231/72-आईटी (ए-I)], दिनांक 13-11-1973 *[अनुलग्नक II]।* उक्त परिपत्र के पैराग्राफ 2 में वे दिशा-निर्देश हैं, जिन्हें बोर्ड ने धारा 80डड के प्रयोजन के लिए समझौतों को मंज़ूरी देने के लिए तैयार किया था। इन दिशा-निर्देशों की तब समीक्षा की गई और इन्हें संशोधित किया गया। *संशोधित दिशानिर्देश इस प्रकार हैं*:

(*i*) ऐसा समझौता, जो बोर्ड की राय में वास्तविक और *प्रामाणिक* नहीं है तथा धारा 80डड के अंतर्गत स्वीकार्य कर रियायत के दुरुपयोग के लिए कपटपूर्ण व्यवस्था है, स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(ii) ऐसा समझौता जिसमें तकनीकी जानकारी का स्पष्ट उल्लेख न हो। इसके तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं या तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जो बहुत सामान्य और व्यापक शब्दों में व्यक्त किया जाता है तथा जो प्रदान की जाने वाली तकनीकी जानकारी या प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति और दायरे के बारे में अस्पष्ट है, उसके लिए विचार अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होगा।

(iii) ऐसे मामलों में, जहां धारा 80डड के तहत परिकल्पित कर रियायत का अनुदान, बोर्ड की राय में, कर रियायत के अनुदान के अंतर्निहित उद्देश्यों को आगे नहीं बढ़ाएगा, *जैसे* , विदेश से तकनीकी जानकारी के बार-बार आयात को कम करना और भारत में तकनीकी जानकारी के स्वदेशी विकास को प्रोत्साहित करना, ऐसे मामलों में समझौतों को मंज़ूरी नहीं दी जाएगी।

(*iv*) ऐसा समझौता जो वास्तव में 1 अप्रैल, 1969 को या उसके बाद दर्ज नहीं किया गया है, अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे मामलों में जहां तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में तकनीकी जानकारी या सेवाओं के प्रतिपादन का प्रावधान वास्तव में एक समझौते के अनुसार है, चाहे लिखित हो या मौखिक, 1 अप्रैल, 1969 से पहले किया गया हो, ऐसी तकनीकी जानकारी के प्रावधान या सेवाओं के प्रतिपादन के संबंध में 1 अप्रैल, 1969 को या उसके बाद किए गए समझौते को स्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(*v*) ऐसे व्यक्ति के साथ समझौता जो भारत में व्यवसाय नहीं कर रहा है, अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होगा। उस व्यक्ति को उस समय भारत में व्यवसाय करना चाहिए, जो धारा 80डड के तहत कर राहत की विषय-वस्तु वाली

आय है, जो उससे प्राप्त होती है। आयकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए भारत में कोई पेशा या व्यवसाय करना भारत में कोई व्यवसाय चलाने के बराबर नहीं है। इसलिए, कोई पेशा या व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के साथ कोई समझौता अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होगा।

(*vi*) समझौते के तहत प्रदान की जाने वाली तकनीकी जानकारी ऐसी होनी चाहिए, जो अपनी प्रकृति और इसके प्रावधान के तरीके से, धारा 80डड की उपधारा (2) के किसी भी खंड द्वारा कवर की गई हो और उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (*i*) में उल्लिखित किसी भी संचालन में *सीधे* सहायता करने की संभावना हो।

[1][(*vii*) (*a*) जहां समझौता तकनीकी जानकारी के प्रावधान के लिए है, जो माल के निर्माण या सामग्री के प्रसंस्करण या ऐसे निर्माण या प्रसंस्करण के लिए संयंत्र या मशीनरी की स्थापना या निर्माण में सहायता करने की संभावना है, प्रदान की गई तकनीकी जानकारी विनिर्माण/प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और/या संयंत्र या मशीनरी की स्थापना/निर्माण प्रौद्योगिकी होनी चाहिए।

(*b*) प्रबंधन संगठन, बिक्री, वित्त और खातों से संबंधित जानकारी के प्रावधान और बाजार या मांग अध्ययन के लिए समझौते अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होंगे।

(c) वित्तीय या अन्य संस्थानों से सहायता के लिए आवेदनों का समर्थन करने के उद्देश्य से व्यवहार्यता या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के समझौते भी अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होंगे।

(*d*) निवेश निर्णयों के उद्देश्य से किसी परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करने के उद्देश्य से व्यवहार्यता या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए समझौते केवल धारा 80डड के तहत अनुमोदन के लिए योग्य होंगे यदि जिन उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट तैयार की गई थी वे परियोजना रिपोर्ट में धारा 80डड के तहत योग्य वस्तुओं से संबंधित होने तक परिपक्व हो गए हैं।]

(*viii*) धारा 80डड की उपधारा (2) के साथ पढ़े गए उपधारा (1) के खंड (*i*) के अर्थ के भीतर किसी भी तकनीकी जानकारी के प्रावधान के बिना सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौते अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होंगे। अनुमोदन की योग्यता प्राप्त करने के लिए, समझौते के तहत प्रदान की गई सेवाएं ऐसी तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में होनी चाहिए और इन्हें ऐसी तकनीकी जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। प्रदान की गई सेवाओं और ऐसी तकनीकी जानकारी के प्रावधान के बीच एक आपसी जुड़ाव और अंतर-संबंध होना चाहिए।

(*ix*) सिविल निर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारी के प्रावधान या इसके संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौते अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होंगे, सिवाय इसके कि जहां प्रदान की गई तकनीकी जानकारी ऐसी है जो खंड (*i*)) में उल्लिखित किसी भी संचालन में सीधे सहायता करने की संभावना हो, धारा 80डड की उप-धारा (1) और प्रदान की गई सेवाएं इस तरह की तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में हैं।

[1](*x*) आपूर्तिकर्ता द्वारा स्वयं डिज़ाइन और इंजीनियर किए गए या नहीं, टर्नकी आधार पर संयंत्र या मशीनरी की आपूर्ति, निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग के लिए किए गए समझौते तब तक अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होंगे, जब तक कि आपूर्तिकर्ता को धारा 80डड की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) के खंड (*i*) के अर्थ के भीतर तकनीकी जानकारी प्रदान करने या ऐसी तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौते के तहत अपेक्षित न हो। अनुबंध के तहत आपूर्ति किए गए संयंत्र या मशीनरी के डिज़ाइन और रेखाचित्रों की प्रतियां प्रस्तुत करना, साथ ही ऐसे संयंत्र या मशीनरी के कामकाज, रखरखाव आदि से संबंधित जानकारी देना, धारा 80डड की उपधारा (2) के अर्थ में तकनीकी जानकारी का प्रावधान नहीं माना जाएगा।

(*xi*) किसी ऐसे व्यक्ति को तकनीकी जानकारी प्रदान करने के लिए किया गया करार, जो इसे केवल व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त करता है और जो इस प्रकार उस व्यक्ति, जिससे वह तकनीकी जानकारी प्राप्त करता है, तथा तीसरे पक्ष, जिसे वह तकनीकी जानकारी को आगे उस परिचालन में उपयोग के लिए देगा, जिसके लिए उसे सहायता मिलने की संभावना है, के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा, अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होगा।

(*xii*) ऐसे मामलों में जहां तकनीकी जानकारी के प्रावधान और/या तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में

सेवाएं प्रदान करने के लिए किसी समझौते के तहत प्राप्त होने वाली प्रतिफल राशि, बोर्ड की राय में, अनुचित रूप से अत्यधिक है या अन्य कारणों से प्रेरित है, बोर्ड ऐसे समझौते के संबंध में अनुमोदन देने से इंकार कर सकता है।

(*xiii*) ऐसे मामलों में जहां एक समझौते के तहत देय प्रतिफल की राशि को तकनीकी जानकारी के प्रावधान के लिए या सेवाओं के प्रतिपादन के लिए समेकित समग्र आंकड़ा समेकित किया जाता है या धारा 80डड के दायरे से बाहर की सेवाएं और, बोर्ड की राय में, तकनीकी जानकारी के प्रावधान से संबंधित या अनुभाग के तहत कवर की गई तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में सेवाओं के प्रतिपादन के लिए संबंधित प्रतिफल की राशि का उचित रूप से पता लगाना और निर्धारित करना संभव नहीं होगा। 80डड,[2] [अनुमोदन की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, गैर-योग्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त अस्वीकृति के अधीन बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा, ताकि शेष अधिकार शुल्क, कमीशन, शुल्क आदि, जो कि प्रावधान के संबंध में तकनीकी जानकारी या सेवाओं के प्रावधान के लिए है धारा 80डड द्वारा कवर की गई ऐसी तकनीकी जानकारी से छूट दी जा सकती है।]

(*xiv*) सामान्य तकनीकी परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौते अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होंगे।

2. वित्त अधिनियम, 1974 की धारा 7 द्वारा धारा 80डड के प्रावधानों में किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, *धारा 80डड के अंतर्गत कर राहत 1 अप्रैल, 1975 से केवल भारतीय कंपनी को ही उपलब्ध होगी तथा किसी अन्य निर्धारिती को उपलब्ध नहीं होगी।* इसके अनुसार, तकनीकी जानकारी प्रदान करने या उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए समझौते, कर निर्धारण वर्ष 1975-76 और उसके बाद के लिए अनुमोदन के लिए पात्र नहीं होंगे। इसके अलावा, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए समझौते के संबंध में पहले से दिया गया अनुमोदन भी 1 अप्रैल, 1975 से प्रभावी नहीं रहेगा और ऐसा व्यक्ति 1975-76 और उसके बाद के वर्षों के मूल्यांकन में धारा 80डड के अंतर्गत कर राहत का हकदार नहीं होगा।

3. *ऐसे समझौते की दो प्रमाणित प्रतियां* अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ बोर्ड को भेजी जानी चाहिए। ऐसे मामलों में, जहां समझौता पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से होता है, प्रस्ताव और स्वीकृति को गठित करने वाले सभी प्रासंगिक पत्रों की दो प्रमाणित प्रतियां समझौते के अनुमोदन के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

4. *आवेदकों को आवेदन के साथ अथवा* उसके यथाशीघ्र बाद संलग्न प्रपत्र [अनुलग्नक-I] में भी सूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

प्रस्तुत की गई जानकारी आवेदक की ओर से आयकर रिटर्न पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा सही प्रमाणित होनी चाहिए।

> **परिपत्र:** *सं. 140 [एफ. संख्या 167/231/74-आईटी (ए-I)], दिनांक 6-7-1974, परिपत्र सं. 332 [एफ. संख्या 167/231/74-आईटी (ए-I)], दिनांक 25-3-1982 और परिपत्र सं. 360 [एफ. संख्या 167/231/74-आईटी (ए-I)], दिनांक 16-5-1983* द्वारा संशोधित।

अनुलग्नक I - आवेदन का संशोधित प्रारूप

1. समझौते के अनुमोदन के लिए आवेदक का विवरण:
    (*i*) नाम और पता
    (*ii*) स्थिति (चाहे व्यक्तिगत/एचयूएफ/फर्म/एओपी/कंपनी)
    (*iii*) यदि कोई कंपनी है, तो क्या वह धारा 2(*26*) के अंतर्गत भारतीय कंपनी है?
    (*iv*) यदि कंपनी नहीं है, तो क्या वह भारत में निवास करती है
    (*v*) व्यवसाय की प्रकृति और/या अन्य गतिविधियां
    (*vi*) कर निर्धारण उद्देश्यों के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले आईटीओ का पदनाम और स्थायी खाता संख्या या सामान्य सूचकांक संख्या

2. समझौते के लिए दूसरे पक्ष का विवरणः

    (*i*) नाम और पता

    (*ii*) क्या वह भारत में कोई व्यवसाय कर रहा है; यदि हां, तो व्यवसाय की प्रकृति, उसका नाम और शैली तथा स्थान

    (*iii*) कर निर्धारण उद्देश्यों के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले आईटीओ का पदनाम, तथा स्थायी खाता संख्या या सामान्य सूचकांक संख्या

3. वह तारीख जिस दिन समझौता किया गया था। अगर समझौता वास्तव में उस तिथि से पहले किया गया था, जिस तिथि को समझौता लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो कृपया उस पुरानी तिथि का भी उल्लेख करें।

4.क्या वर्तमान समझौता किसी पिछले मौखिक या लिखित समझौते का नवीनीकरण, विस्तार या संशोधन है? यदि ऐसा है, तो कृपया इस तरह के पिछले समझौते का विवरण दें।

5. क्या आवेदक ने वर्तमान अनुबंध से पहले उपरोक्त (2) पक्ष को या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को कोई तकनीकी जानकारी प्रदान की थी या उससे संबंधित कोई सेवा प्रदान की थी?

यदि ऐसा है, तो कृपया ऐसे किसी पूर्व समझौते तथा प्रदान की गई तकनीकी जानकारी आदि की प्रकृति का विवरण दें।

6. क्या आवेदक ने वर्तमान अनुबंध के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को समान जानकारी या सेवाएं प्रदान की हैं या प्रदान कर रहा है? यदि ऐसा है, तो कृपया उसका संक्षिप्त विवरण दें, तथा यह भी बताएं कि क्या उसके संबंध में करार/समझौतों को केंद्र सरकार/बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था।

7.क्या वर्तमान समझौता तकनीकी जानकारी के प्रावधान के लिए है या तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए है, या दोनों के लिए है?

यदि अनुबंध केवल सेवाएं प्रदान करने के लिए है, तो कृपया स्पष्ट करें कि आवेदक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के संबंध में तकनीकी जानकारी कौन प्रदान कर रहा है और आवेदक द्वारा सेवाओं का प्रदान किया जाना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तकनीकी जानकारी प्रदान करने से किस प्रकार जुड़ा हुआ है।

8. क्या वर्तमान समझौते के तहत तकनीकी जानकारी और/या सेवाएं भारत में या भारत के बाहर प्रदान की जाती हैं?

यदि भारत से बाहर हैं, चाहे पूर्णतःया आंशिक रूप से, तो कृपया भारत के बाहर प्रदान की गई तकनीकी जानकारी और/या प्रदान की गई सेवाओं और उनके संबंध में प्रतिफल की राशि निर्दिष्ट करें। उस पक्ष का भी उल्लेख करें जिसे तकनीकी जानकारी प्रदान की गई है/सेवाएं प्रदान की गई हैं।

9. क्या वर्तमान समझौते के तहत प्रदान की गई तकनीकी जानकारी है:

    (i) कोई पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त फ़ॉर्मूला या प्रक्रिया या समान संपत्ति। (कृपया बताएं कि यह किस श्रेणी में आता है और कैसे आता है); या

    (ii) औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित जानकारी। (कृपया संक्षेप में जानकारी का वर्णन करें और निर्दिष्ट करें कि यह किस श्रेणी में आता है।)

10. यदि तकनीकी जानकारी उपरोक्त पैरा 9(*i*) के अंतर्गत आती है, तो कृपया इंगित करें:

(*a*) आवेदक ने इसे कैसे अर्जित किया या इसे अर्जित करने के लिए उसने क्या व्यवस्था की है;

(*b*) इसके संबंध में आवेदक के अपने अधिकार क्या हैं;

(c) क्या समझौते के दूसरे पक्ष के लिए इसके प्रावधान में निम्नलिखित शामिल है:

(i) आवेदक के सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण; यदि ऐसा है, तो कृपया हस्तांतरित अधिकार की प्रकृति और सीमा तथा उसके हस्तांतरण का तरीका निर्दिष्ट करें;

(ii) इसके कार्यकरण या उपयोग से संबंधित कोई जानकारी प्रदान करना; यदि ऐसा है, तो कृपया प्रदान की गई जानकारी और उसके प्रदान करने के तरीके को निर्दिष्ट करें;

(iii) अन्य व्यक्ति द्वारा समझौते के तहत इसका उपयोग; यदि ऐसा है, तो कृपया उपयोग की प्रकृति और तरीके को निर्दिष्ट करें।

11.यदि तकनीकी जानकारी उपरोक्त पैरा 9(*ii*) के अंतर्गतआती है, तो कृपया निर्दिष्ट करें:

(*I*) आवेदक के पास इसे प्राप्त करने और प्रदान करने के लिए उपलब्ध व्यवस्थाएं;

(ii) इसे प्रदान करने का तरीका।

12. कृपया धारा 80डड की उपधारा 1 के खंड (*i*) के प्रावधानों का संदर्भ लें तथा समझौते के तहत प्रदान की गई प्रत्येक प्रकार की तकनीकी जानकारी के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें:

क्र. सं. संख्या	*प्रदान की गई तकनीकी जानकारी, उसकी प्रकृति और उसके प्रावधान के तौर-तरीकों का संक्षिप्त विवरण। (कृपया ऊपर पैरा 9, 10 और 11 के तहत उपयुक्त प्रविष्टि का संदर्भ भी उद्धृत करें, जैसा लागू हो)*	*उक्त खंड में उल्लिखित गतिविधियों में से किसकी सहायता किए जाने की संभावना है, जैसे,* *(i) माल या सामग्री का विनिर्माण या प्रसंस्करण;* *(ii) ऐसे विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए मशीनरी या संयंत्र की स्थापना या निर्माण;* *(iii) किसी खदान, तेल कुएं या खनिज भंडार के अन्य स्रोत के संचालन में;* *(iv)खनिज भंडारों की खोज, खोज या परीक्षण या उन तक पहुंच प्राप्त करने में;* *(v)कषि, पशुपालन, डेयरी या मुर्गीपालन, वानिकी या मछली पकड़ने से संबंधित कोई भी कार्य* *कृपया सटीक विवरण दें*	*कृपया बताएं कि किसी विशेष गतिविधि में किस प्रकार सहायता की जाएगी*	*प्राप्य/प्राप्त प्रतिफल की राशि*

13. क्या तकनीकी जानकारी के प्रावधान के अतिरिक्त समझौते के तहत कोई सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं? यदि ऐसा है, तो कृपया ऐसी प्रत्येक सेवा के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दें:

क्र. सं.	*प्रदान की गई सेवा की प्रकृति*	*क्या सेवा का प्रतिपादन किसी जानकारी के प्रावधान के संबंध में है*	*अगर कॉलम 3 का उत्तर हां है, तो कृपया उस तकनीकी जानकारी का उल्लेख करें जिसके संबंध में जानकारी दी गई है ((कृपया ऊपर पैरा 12 के अंतर्गत क्रम संख्या का संदर्भ भी उद्धृत करें जिसके सामने विशेष जानकारी का उल्लेख किया गया है)*	*कृपया समझाएं कि सेवा प्रदान करना और तकनीकी जानकारी के प्रावधान किस तरह से संबंधित हैं*	*प्राप्य/प्राप्त की जाने वाली प्रतिफल राशि*

14. क्या अनुबंध में ऊपर पैरा 12 और 13 में उल्लिखित के अलावा अन्य जानकारी, सेवाओं और/या वस्तुओं के प्रावधान शामिल हैं? यदि ऐसा है, तो कृपया उन्हें तथा उनके संबंध में प्राप्य/प्राप्त प्रतिफल की राशि भी बताएं।
15. क्या आवेदक (इसके किसी भी सदस्य/भागीदार/निदेशक सहित, जैसा भी मामला हो) का अनुबंध के दूसरे पक्ष (इसके किसी भी सदस्य/भागीदार/निदेशक सहित, जैसा भी मामला हो) के साथ कोई पारिवारिक संबंध है? यदि ऐसा है, तो कृपया इसकी जानकारी दें।
16. क्या आवेदक (इसके किसी भी सदस्य/भागीदार/निदेशक सहित, जैसा भी मामला हो) का इस समझौते के अलावा, समझौते के दूसरे पक्ष (इसके किसी भी सदस्य/भागीदार/निदेशक सहित, जैसा भी मामला हो) के व्यवसाय में कोई हित है? यदि ऐसा है, तो कृपया इसकी जानकारी दें।
17. इस समझौते के तहत तकनीकी जानकारी प्रदान करने और/या उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए आवेदक के पास क्या व्यवस्थाएं और सुविधाएं उपलब्ध हैं
18. क्या आवेदक ने इस समझौते के तहत प्रदान की जाने वाली तकनीकी जानकारी प्राप्त करने या उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत या विदेश में किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई समझौता या व्यवस्था की है? यदि ऐसा है, तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें:

(*i*) ऐसे अन्य व्यक्ति का नाम और पता;

(*ii*) लिखित समझौते की प्रमाणित प्रति के साथ समझौते या व्यवस्था का विवरण, यदि कोई हो;

(*iii*) आवेदक का ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ संबंध और जुड़ाव की प्रकृति और सीमा।

19. क्या आयकर अधिनियम की धारा 80डड के तहत इस समझौते के अनुमोदन के लिए पहले कोई आवेदन किया गया था? यदि ऐसा है, तो कृपया बताएं:

(*i*) जिस तारीख को आवेदन बनाया गया था;

(*ii*) क्या स्वीकृति दी गई या अस्वीकार कर दी गई (कृपया उस पत्र संख्या का उल्लेख करें जिसके तहत स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में निर्णय सूचित किया गया था)

20. यदि समझौता एक महत्वपूर्ण अनुबंध है जिसमें संयंत्र का निर्माण, आपूर्ति, स्थापना आदि शामिल है, तो कृपया बताएं:

(i) क्या प्रक्रिया संबंधी जानकारी/उत्पाद डिज़ाइन, और/या संयंत्र डिज़ाइन और इंजीनियरिंग संबंधी जानकारी अनुबंध के दूसरे पक्ष द्वारा प्रदान की जा रही है, यदि नहीं, तो आवेदक ने यह जानकारी कैसे प्राप्त की है? यदि वह इसे किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त कर रहा है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति का नाम और पता, इस संबंध में ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ किए गए समझौते/व्यवस्था का विवरण तथा आवेदक और ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच किसी पारिवारिक संबंध या अन्य जुड़ाव और हित का विवरण;

(ii) तकनीकी जानकारी के प्रावधान, यदि कोई हो, या उसके संबंध में सेवाएं प्रदान करने, यदि कोई हो, से संबंधित प्रतिफल की राशि, तथा मशीनरी/संयंत्र की कीमत से संबंधित प्रतिफल की राशि। अनुबंध के तहत प्राप्त होने वाली कुल राशि को जिस आधार पर विभाजित किया जाता है, उसे भी कृपया निर्दिष्ट किया जा सकता है।

21.यदि अनुबंध में संयंत्र डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग से संबंधित तकनीकी जानकारी का प्रावधान शामिल है, तो कृपया बताएं कि क्या प्रक्रिया संबंधी जानकारी या उत्पाद डिज़ाइन अनुबंध के दूसरे पक्ष द्वारा प्रदान किया गया है, यदि नहीं, तो क्या आवेदक ने इसे किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त किया है? यदि आवेदक इसे किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त कर रहा है/प्राप्त कर चुका है, तो कृपया स्पष्ट करें:

(i) ऐसे अन्य व्यक्ति का नाम और पता;

(ii) इस संबंध में ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ किए गए समझौते/व्यवस्था का विवरण;

(iii) आवेदक और ऐसे अन्य व्यक्ति के बीच किसी पारिवारिक संबंध या अन्य जुड़ाव या हित का विवरण।

22. कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक प्रासंगिक मानता हो।

अनुलग्नक ॥ - परिपत्र सं. 124, दिनांक 13-11-1973 स्पष्टीकरण में संदर्भित

1.वित्त अधिनियम, 1969 ने 1 अप्रैल, 1970 से धारा 80डड में एक नया प्रावधान पेश किया, जिसके तहत किसी भारतीय कंपनी द्वारा भारत में किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान से अधिकार शुल्क, तकनीकी सेवा शुल्क आदि के रूप में प्राप्त आय पर रियायती कराधान लागू किया गया, जो तकनीकी जानकारी प्रदान करने या ऐसी तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में सेवाएं प्रदान करने के लिए था। इस प्रावधान के तहत, कंपनी अपनी कर योग्य आय की गणना में ऐसी आय का 40 प्रतिशत कटौती पाने की हकदार थीं। इस धारा को वित्त अधिनियम, 1970 और वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1971 द्वारा संशोधित किया गया है। 1 अप्रैल, 1972 से कर रियायत को उन मामलों को कवर करने के लिए बढ़ा दिया गया है, जहां तकनीकी जानकारी या तकनीकी सेवाएं निवासी गैर-कॉर्पोरेट निर्धारितीओं, जैसे कि व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों, साझेदारी फर्मों आदि द्वारा प्रदान की जाती हैं। अनुभाग की आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं:

(*a*) कटौती केवल तभी स्वीकार्य होगी जब निर्धारिती द्वारा प्रदान की गई तकनीकी जानकारी (चाहे वह पेटेंट हो या न हो) माल या सामग्री के विनिर्माण या प्रसंस्करण में या ऐसे विनिर्माण या प्रसंस्करण के लिए मशीनरी या संयंत्र की स्थापना या निर्माण में, या किसी खदान, तेल कुएं या खनिज भंडार के अन्य स्रोत के संचालन में, या खनिज भंडार की खोज और परीक्षण में या उन तक पहुंच प्राप्त करने में, या कृषि, पशुपालन, डेयरी या

मुर्गीपालन, वानिकी या मछली पकड़ने से संबंधित किसी भी कार्य को करने में सहायक हो।

बिजली उत्पादन या जहाजों के निर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारी के प्रावधान के बदले में रॉयल्टी, कमीशन, शुल्क आदि भी कटौती के लिए पात्र होंगे।

(*b*) उपधारा (2) में "तकनीकी जानकारी का प्रावधान" शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है-

(i) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या समान संपत्ति के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार (लाइसेंस प्रदान करने सहित) का हस्तांतरण;

(*ii*) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या समान संपत्ति के कामकाज या उपयोग से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रदान करना;

(iii) किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिज़ाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या समान संपत्ति का उपयोग;

(iv) औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना।

तकनीकी जानकारी के प्रावधान के लिए समझौते में खंड (*i*) से (*iv*)में सूचीबद्ध सभी मामलों के लिए प्रावधान होना आवश्यक नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 80डड की उपधारा (2) के खंड (*i*) *से* (*iv*) को अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए और इनमें से किसी भी खंड में संदर्भित किसी भी मामले के लिए प्रावधान करने वाला समझौता धारा 80डड के दायरे में आएगा। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तकनीकी जानकारी का प्रावधान माल या सामग्री के निर्माण या प्रसंस्करण में या ऐसे निर्माण या प्रसंस्करण के लिए मशीनरी या संयंत्र की स्थापना या निर्माण में या धारा 80डड की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी एक या अधिक अन्य संचालन या गतिविधियों में सीधे सहायता करनी चाहिए।

(*c*) तकनीकी जानकारी या सेवाएं 1 अप्रैल, 1969 को या उसके बाद निर्धारिती द्वारा किए गए समझौते के तहत प्रदान की जानी चाहिए।

(*d*) इस धारा के अंतर्गत कटौती केवल तभी स्वीकार्य होगी जब संबंधित करार को बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया हो। हालांकि, उन मामलों में बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा जहां इस धारा के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल, 1972 से पहले केंद्रीय सरकार द्वारा समझौते को मंज़ूरी दी गई थी। केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे गए सभी आवेदन, जिनका 1 अप्रैल, 1972 से पहले निपटारा नहीं किया गया था, निपटान के लिए बोर्ड को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

(*e*) इस कटौती के लिए पात्र होने के लिए, तकनीकी जानकारी और सेवाएं 1 अप्रैल, 1969 को या उसके बाद निर्धारिती द्वारा किए गए समझौते के तहत प्रदान की जानी चाहिए और ऐसे समझौते के लिए बोर्ड की मंज़ूरी के लिए प्रासंगिक कर निर्धारण वर्ष की 1 अक्टूबर से पहले आवेदन किया जाना चाहिए। एक बार वैध स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने के बाद, यह अनुबंध की अवधि तक वैध रहेगा, बशर्ते कानून में निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता रहे।

(*f*) सहकारी समितियों के अलावा गैर-कॉर्पोरेट निर्धारितीओं के मामले में, इस धारा के तहत कटौती केवल उन समझौतों के संबंध में दी जाएगी, जिन्हें उप-धारा (2क) में दिए गए अनुसार प्रासंगिक पिछले वर्षों के खातों का ऑडिट किया गया है और निर्धारिती अपने आयकर रिटर्न के साथ नियम 6कख के तहत निर्धारित फॉर्म संख्या 3ग में ऐसे ऑडिट की रिपोर्ट लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित करके प्रस्तुत करता है।

(*g*) इस धारा के अंतर्गत किसी भी आय के संबंध में कोई कटौती स्वीकार्य नहीं है जो "पूंजीगत लाभ" शीर्षक के अंतर्गत प्रभार्य है।

(h) यदि निर्धारिती उसी आय के संबंध में धारा 80-ण के तहत कटौती का हकदार है तो धारा के तहत किसी भी आय के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. यह प्रोत्साहन दोहरे उद्देश्यों के साथ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी के बार-बार आयात को कम करना तथा तकनीकी ज्ञान के हस्तांतरण और सेवा से उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में ऊपर बताए गए अनुसार

कर राहत प्रदान करके स्थानीय ज्ञान के विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है। प्रोत्साहन के पीछे के उद्देश्य और वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश विकसित किए हैं:

(i) समझौता *सद्भावनापूर्वक* किया जाना चाहिए, न कि कर से बचने के उद्देश्य से किया गया हो।

(ii) ऐसा समझौता जो बहुत व्यापक हो या अस्पष्ट हो, स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

(iii) यह समझौता वास्तविक रूप से 1 अप्रैल, 1969 को या उसके बाद किया गया होना चाहिए। नए रूप में पुराना समझौता स्वीकृति के लिए योग्य नहीं होगा।

(iv) निवासी गैर-कॉर्पोरेट निर्धारितीओं के मामले में, 1 अप्रैल, 1969 को या उसके बाद वास्तविक रूप से किए गए समझौतों पर अनुमोदन के लिए विचार किया जाएगा, लेकिन धारा 80डड के तहत लाभ उन्हें केवल कर निर्धारण वर्ष 1972-73 से ही उपलब्ध होगा।

(v) प्रदान की जाने वाली जानकारी ऐसी होनी चाहिए जो प्रौद्योगिकी के बार-बार आयात को कम से कम करे या स्थानीय प्रौद्योगिकी के विकास में योगदान दे।

(vi) सेवाएं प्रदान करने के लिए समझौते धारा 80डड के तहत अनुमोदन के लिए तभी योग्य होंगे जब ऐसी सेवाएं तकनीकी जानकारी प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में प्रदान की जाती हैं। सलाहकार के रूप में या तकनीकी जानकारी के प्रावधान के अलावा किसी अन्य क्षमता में प्रदान की गई सेवाएं इस धारा के अंतर्गत योग्य नहीं होंगी।

(vii) तकनीकी-आर्थिक निर्णय लेने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार, उपकरणों की प्रकृति, संयंत्र के आकार आदि के दृष्टिकोण से परियोजना की व्यवहार्यता से संबंधित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए समझौते सामान्यतः इस धारा के तहत अनुमोदन के लिए योग्य होंगे। प्रबंधन, लेखांकन, बिक्री आदि के क्षेत्रों में वाणिज्यिक जानकारी के प्रावधान या उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए समझौते, हालांकि, तब तक अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होंगे जब तक कि ऐसी जानकारी का प्रावधान सीधे माल आदि के निर्माण में सहायता नहीं करेगा।

(viii) नागरिक निर्माण से संबंधित तकनीकी जानकारी के प्रावधान या उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए किए गए समझौते तब तक अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होंगे, जब तक कि सिविल निर्माण सीधे और जटिल रूप से प्रक्रिया या संयंत्र से जुड़ा न हो।।

(ix) किसी तैयार संयंत्र के निर्माण और स्थल पर आपूर्ति के लिए "टर्नकी अनुबंध" अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होंगे। हालांकि, जहां इनमें पेटेंट या डिज़ाइन में अधिकार का हस्तांतरण या किसी सूत्र या संचालन से संबंधित कोई जानकारी प्रदान करना या विनिर्माण या संचालन से संबंधित डिज़ाइन और रेखाचित्रों की आपूर्ति या विनिर्माण संचालन से संबंधित मैनुअल का प्रावधान शामिल है, वहां तकनीकी जानकारी के ऐसे प्रावधान के लिए देय शुल्क कटौती के लिए योग्य होंगे।

(*x*) यह समझौता भारत में व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के साथ होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" में "सरकार" भी शामिल होगी। यह आवश्यक है कि प्रदान की गई तकनीकी जानकारी और व्यवसाय के बीच एक संबंध हो। परीक्षण यह होगा कि क्या तकनीकी जानकारी का प्रावधान माल या सामग्री या अन्य निर्दिष्ट कार्यों के निर्माण या प्रसंस्करण में सहायता करने की संभावना है या नहीं। किसी ऐसे व्यक्ति को जानकारी प्रदान करना जो केवल जानकारी का व्यापार करता है, अनुमोदन के लिए योग्य नहीं होगा। औद्योगिक उपक्रमों के प्रवर्तकों को दी गई तकनीकी जानकारी या उसके संबंध में प्रदान की गई सेवाएं, हालांकि, इस बात के बावजूद योग्य होंगी कि प्रवर्तक और उपक्रम अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं।

(xi) यह आवश्यक है कि जिस उद्योग में तकनीकी जानकारी का उपयोग किया जाएगा वह भारत में स्थित होना चाहिए। प्रदान की गई तकनीकी जानकारी, जिसका निर्यात किया जाना है और जिसका उपयोग भारत के बाहर उद्योग स्थापित करने में किया जाना है, इस धारा के तहत अनुमोदन के लिए योग्य नहीं

होगी।

(xii) समझौते के तहत भुगतान उसकी मात्रा और अवधि दोनों के संबंध में उचित होना चाहिए। जहां भुगतान अत्यधिक या वाणिज्यिक कारणों से प्रेरित प्रतीत होता है, वहां आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।

(xiii) ऐसे संयुक्त समझौतों के मामले में, जिनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* धारा 80डड के दायरे से बाहर के मामले शामिल हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क का उपयोग, उपकरणों की आपूर्ति, ऐसी जानकारी प्रदान करना जिसे तकनीकी जानकारी नहीं माना जा सकता, ऐसी तकनीकी जानकारी प्रदान करना जो माल या सामग्री के विनिर्माण या प्रसंस्करण या धारा में निर्दिष्ट अन्य कार्यों में सहायता करने की संभावना नहीं है, या तकनीकी जानकारी के प्रावधान के संबंध में प्रदान नहीं की गई सेवाएं, तकनीकी जानकारी के प्रावधान या उससे संबंधित सेवाएं प्रदान करने से संबंधित विचार की राशि सभी प्रासंगिक तथ्यों की जांच के बाद अलग से निर्धारित की जाएगी। हालांकि, जहां ऐसा पता लगाना संभव नहीं है, बोर्ड ऐसे समग्र समझौते को मंज़ूरी देने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

न्यायिक विश्लेषण

व्याख्या- डे पेपर कंसल्टेंट्स (प्रा.) लिमिटेड बनाम *सीबीडीटी* [1991] 197 आईटीआर 624 (बॉम.) में उपर्युक्त परिपत्र को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ संदर्भित किया गया था:

> "परिणाम यह है कि दिशानिर्देशों के अनुसार भी, यदि समझौता तकनीकी जानकारी के संबंध में है और सेवाएं ऐसे तकनीकी ज्ञान प्रदान करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदान की जाती हैं तथा प्रदान की गई सेवाओं और ऐसे तकनीकी ज्ञान के प्रावधान के बीच आपसी जुड़ाव और अंतर्संबंध है, तो समझौता धारा 80डड के तहत अनुमोदन के लिए योग्य होगा।" (पृ. 628)